सं० ओ.वि./एफ.डी./91-85/35961.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सांकम्भरी इन्जिनियरिंग प्रा०लि०, प्लाट नं० 70, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम बिहारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई उद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीत समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/5254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायानिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु विनिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम बिहारी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ.वि./एफ.डी./91-85/35968.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सांकम्भरी इन्जिनियरिंग प्रा० लि०, प्लाट नं० 70, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम अशिष मोर्य तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3 श्रम-68/5254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास मे देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम अशिष मोर्य की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./91-85/35975.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सांकम्भरी इन्जिनियरिंग प्रा. लि., प्लाट नं. 70, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ज्ञान चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/5254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायलाय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु विनिर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ज्ञान चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी./91-85/35982.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं० सांकम्भरी इन्जिनियरिंग प्रा. लि., प्लाट नं. 70, सैक्टर-6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सिद्धार्थ दे तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक मामला है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/5254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायलाय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला हैं।

क्या श्री सिद्धार्थ दे की सेवाओं का समापन न्यायोचित अथवा ठीक हैं? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?